रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 791] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2016/कार्तिक 24, 1938
No. 791] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016/KARTIKA 24, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1067(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारुप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारुप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे।

3. कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारुप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (............संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में, -

(i) नियम 4 में, मद सं. 4 और उससे संबद्ध प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएग, अर्थात् :-

"4क. आधार कार्ड,";

(ii) नियम 14 में, उपनियम (1) में शब्द और अंक "प्ररूप 4" के स्थान पर शब्द और अंक "प्ररूप 2" रखे जाएंगे;

(iii) नियम 17 में, उपनियम (1) में शब्द और अंक "प्ररूप 8" के स्थान पर शब्द और अंक "प्ररूप 2" रखे जाएंगे;

(iv) नियम 18 में, उपनियम (1) में शब्द और अंक "प्ररूप 9" के स्थान पर शब्द और अंक "प्ररूप 2" रखे जाएंगे;

(v) प्ररूप 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 2

(नियम 10, 14(1), 17 (1) और 18 (1) देखें)

चालन अनुज्ञप्ति और नाम/पते में परिवर्तन के लिए आवेदन का प्ररूप

पासपोर्ट आकार के फोटो के लिए स्थान (ऑनलाइन आवेदन के लिए फोटो अपलोड करें)

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी

....

....

मैं निम्नलिखित के लिए आवेदन करता हूं

(क) लर्नर अनुज्ञप्ति ....
(ख) नई चालन अनुज्ञप्ति ....
(ग) चालन अनुज्ञप्ति में मोटर यान के नए वर्ग को जोड़ना ....
(घ) चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण ....
(ड.) पते में परिवर्तन (दिशा निर्देशों के अनुसार) ....
(च) चालन अनुज्ञप्ति/ अन्य में नाम में परिवर्तन/शुद्धिकरण ....
(छ) अनुलिपि अनुज्ञप्ति ....
(ज) नाम में परिवर्तन

घोषणा
मैं दुर्घटनात्मक मृत्यु की दशा में अपने अंगों को दान करने का इच्छुक हूं।
हां ....
नहीं .....

1. यानों की श्रेणी, जिनके लिए आवेदन किया गया है
(क) एम सी डब्लू ओ जी (ख) एम सी डब्लू जी (ग) अविधिमान्य कैरिज
(घ) एल एम वी अनुज्ञप्ति (ड.) परिवहन यान (च) रोड़ रोलर (छ) ई-रिक्शा
(ज) ई-कार्ट (झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) ....

2. पूरा नाम (साफ अक्षरों में) ....

3. आधार सं. .... *मोबाइल नं. ....
ई-मेल आई डी ....
यदि आधार सं. दर्शाई जाती है तो क्रम संख्यांए 4 से 6 तक अपेक्षित नहीं है।

4. पुत्र/पत्नी/पुत्री ....

5. लिंग: पुरुष .... स्त्री ....ट्रांसजैंडर........... (विनर्दिष्ट करें)
6. पता (सबूत संलग्न करें)
(क) स्थायी..
....
(ख) वर्तमान (यदि स्थायी से भिन्न हों) ....
....
7. जन्म की तारीख .... (सबूत संलग्न करें)
8. शैक्षिक अर्हता ....
9. रक्त समूह ....आर एच फैक्टर ....
10. विद्यमान/समाप्त अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां - अनुज्ञप्ति संख्या ....
विधिमान्यता की तारीख ....
11. लर्नर अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, अनुज्ञप्ति संख्या ....

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और असली हैं । मैं यह भी कथन करता हूं/करती हूं कि मुझे चालन अनुज्ञप्ति धारण करने से निरर्हित किया गया है /नहीं किया गया है ।

तारीख..................

आवेदक के हस्ताक्षर

मोटर यान अधिनियम, 1988, की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा

श्री/श्रीमति/कुमारी ....पुत्र/पुत्री ....जो अवयस्क है मेरी देख-रेख में है तथा मैं उसके चालन का उत्तरदायित्व लेता हूं । यदि किसी पश्चातवर्ती तारीख को मैं उसके चालन के लिए उत्तरदायित्वों को स्वीकार नहीं करता हूं तो मैं अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए लिखित में अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करुंगा । उसके द्वारा लर्नर अनुज्ञप्ति की अभिप्राप्ति के लिए मैं अपनी सहमति देता हूं ।

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर संबंध....................................

(अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएं)

कार्यालय उपयोग के लिए

(क) आवेदक को केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सा परीक्षण से और नियम 11 (2) के अधीन प्राथमिक परीक्षण से छूट प्राप्त है, लर्नर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है ।

(ख) आवेदक का केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 11 (1) के संदर्भ में परीक्षण किया गया था उसने परीक्षण उत्तीर्ण किया है। लर्नर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।

(ग) आवेदक ने केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 15 के अधीन विहित परीक्षण उत्तीर्ण की है, परीक्षण (यहां यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और विवरण प्रविष्ट करें) .... के लिए तारीख ....को संचालित किया गया था। आवेदक परीक्षण (कमी के ब्यौरे सूचीबद्ध किए जाएं) में अनुत्तीर्ण रहा है, लर्नर अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकती है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति)

दस्तावेजों की सूची

पते का सबूत (कोई एक)

1. निर्वाचन नामावली ....
2. एल आई सी पॉलिसी ....
3. पासपोर्ट ....
4. आधार ....
5. राज्य/केंद्रीय सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वार जारी वेतन स्लिप ....
6. किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तैयार किया गया शपथ पत्र ....
7. कोई अन्य दस्तावेज, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए
8. विदेशियों की दशा में निवास के सबूत के अतिरिक्त, भारत में विधिक उपस्थिति का सबूत ....

आयु सबूत (कोई एक)
1. जन्म प्रमाणपत्र ....
2. विद्यालय प्रमाणपत्र ....
3. आधार ....
4. आवेदक की आयु के संबंध में सिविल शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ....
5. स्वत: घोषणा

यदि लागू हों, तो संलग्न/अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज

1. प्ररूप 1 और प्ररूप 1क में चिकित्सा प्रमाणपत्र ....
(यदि आवेदक 50 वर्ष से अधिक आयु का है या परिवहन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर रहा है)

2. प्ररूप 5 में चालन स्कूल प्रमाणपत्र ....
3. अवयस्क आवेदक की दशा में माता-पिता/संरक्षक-घोषणा ....
4. फोटो ....

5. पासपोर्ट और वीज़ा का विधिमान्य सबूत (केवल अंतरराष्ट्रीय चालन परमिट के लिए) ....
6. आधार कार्ड ....
7. अन्य दस्तावेज ....
8. यदि चालन अनुज्ञप्ति खो गई थी या विकृत या विरुपित या क्षतिग्रस्त हुई थी, तो खो जाने की पुलिस शिकायत की प्रति ....
9. नाम के परिवर्तन हेतु (क) वर्तमान नाम ....
   (ख) परिवर्तित किया जाने वाला नाम ....
   (ग) संलग्न दस्तावेज
   (i) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष बनाया गया शपथ पत्र ....
   (ii) विवाह् प्रमाणपत्र ....
   (iii) समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति"; ....

(vi) प्ररूप 4 का लोप किया जाएगा;

(vii) प्ररूप 6 में "जारी करने की तारीख ...." प्रविष्टि के नीचे, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अंगदाता हां/नहीं";

(viii) प्ररूप 7 में "जारी करने की तारीख ...." प्रविष्टि के नीचे, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अंगदाता हां/नहीं";

(ix) प्ररूप 8 और प्ररूप 9 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. आरटी- 11012/27/2010 –एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. .... (अ), तारीख .... को संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2016.

G.S.R. 1067(E).— The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

2. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001.

3. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (_________ Amendment) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, -

(i) in rule 4, after item number 4 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"4A. Aadhaar Card," ;

(ii) in rule 14, in sub-rule (1), for the word and figure "Form 4", the word and figure "Form 2" shall be substituted ;

(iii) in rule 17, in sub-rule (1), for the word and figure "Form 8", the word and figure "Form 2" shall be substituted ;

(iv) in rule 18, in sub-rule (1), for the word and figure "Form 9", the word and figure "Form 2" shall be substituted ;

(v) for Form 2, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM 2

[See rules 10, 14(1), 17(1) and 18(1)]

FORM OFAPPLICATION FOR THE DRIVING LICENSE AND CHANGE OF ADDRESS/NAME

Space of passport size photograph (Upload the photo for online application)

To

The Licensing Authority

____

____

I hereby apply for ☐

(a) Learner's License

(b) New Driving License ☐

(c) Addition of new class of Motor Vehicle to Driving Licence ☐

(d) Renewal of Driving License ☐

(e) Change of address (as per guidelines) ☐

(f) Change of /correction in name in the Driving license /others ☐

(g) Duplicate License ☐

(h) Change of Name ☐

DECLARATION
I am willing to donate my organs in case of accidental death.

YES ☐

NO ☐

1. Class of vehicles for which application made

(a) MCWOG (b) MCWG (c) Invalid carriage (d) LMVLicence (e) Transport vehicle

(f) Road Roller (g) e-Rickshaw(h) e-Cart (i) Others(Specify) ___________________

2. Full name (in capital letters) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3. AdhaarNo. ____________________________*Mobile No_____________________

E-mail ID ____

Serial numbers 4 to 6 are not required if Aadhaar number is mentioned.

4. Son / Wife / Daughter of ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. Gender: Male ☐ Female ☐ Transgender (Specify) ☐

6. Address (proof to be enclosed)

(a) Permanent ____

(b) Present (if different from permanent) ______________________________________

____

7. Date of Birth ___________________(proof to be enclosed)

8. Educational Qualification _____________________________________

9. Blood Group ________________________ RH Factor _____________________

10. Particulars of existing / expired License- No. _____________Valid upto__________

11. Particulars of learner's licenseNo. _______________________

DECLARATION

I declare that the facts stated above and documents submitted are true and genuine to the best of my knowledge and belief. I also State that I have/ have not been disqualified from holding a Driving License.

Date : Signature of the Applicant

DECLARATION UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 7 OF THE MOTOR VEHICLES ACT, 1988

Shri/Smt./Kumari_______________________son/daughter of ______________ who is a minor is under my care and I accept responsibility for his/her driving. If at a later date I decide not to accept responsibility for his /her driving, I shall intimate the licensing authority in writing for the cancellation of the license. I give my consent for his / her obtaining learner's license.

Signature of the parents / guardian

Relationship ____________________

[To be signed in the presence of the licensing authority or person authorised in this behalf by the licensing authority].

For Office use

(a) The applicant is exempted from the medical test under rule 6 and the preliminary test under rule 11(2) of the Central Motor Vehicles Rules 1989, Learner's license may be issued.

(b) The applicant was tested with reference to rule 11(1) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. He has passed the test. Learner's license may be issued.

(c) The applicant has passed the test prescribed under rule 15 of the Central Motor vehicles Rules, 1989, the test was conducted on (here enter the registration mark and description of the vehicle) _________________________ on (date) ______________________. The applicant has failed in the test(The details of the deficiency to be listed out), Learner's license may be refused.

Signature of licensing authority

(or other person authorised in this behalf)

LIST OF DOCUMENTS

Address proof (any one)

1. Electoral Roll ☐
2. LIC Policy ☐
3. Passport ☐
4. Aadhaar ☐
5. Pay slip issued by any office of the State /Central Government or a local body ☐
6. Affidavit sworn before an Executive Magistrate or Notary Public or First Class Judicial Magistrate ☐
7. Any other document or documents as may be prescribed by State Government ☐
8. Proof of legal presence in India in addition to proof of residence in case of Foreigners ☐

Age proof (any one)

1. Birth Certificate ☐
2. School Certificate ☐
3. Aadhaar ☐
4. A certificate granted by a Registered Medical Practitioner not below the rank of Civil Surgeon as to the age of the applicant ☐
5. Self Declaration ☐

Other documents to be enclosed / uploaded if applicable

1. Medical Certificate in Form- 1 and Form- 1A (If applicant is above 50 years of age or applying for Transport License) ☐
2. Driving School certificate in Form 5 ☐
3. Parent / Guardian Declaration in case of applicant who is a minor ☐
4. Photograph ☐
5. Valid proof of passport andvisa (for International Driving Permit only) ☐
6. Aadhar card ☐
7. Other documents ☐
8. In case the Driving License was lost or mutilated or defaced or damaged, lost copy of police complaint ☐
9. For Change of name (a) Existing name ______________________________

   (b) Name to be changed as _________________________

   (c) Documents enclosed:

   (i) Affidavit sworn before a First Class Judicial Magistrate or a Notary Public ☐

   (ii) Marriage certificate ☐

   (iii) Copy of newspaper advertisement"; ☐

(vi) Form 4 shall be omitted ;

(vii) in Form 6, below the entry "Date of issue…………………..", the following shall be inserted, namely:-

"Organ donor YES / NO" ;

(viii) in Form 7, below the entry "Date of issue…………………..", the following shall be inserted, namely:-

"Organ donor YES / NO" ;

(ix) Form 8 and Form 9 shall be omitted.

[No. RT-11012/27/2010-MVL]

ABHAYDAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _______(E), dated the ______________________.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.16 15:50:03 +05'30'